

# वार्षिक लेखा

## 2015-16



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कोर- IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र,  
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट: [www.ncrpb.nic.in](http://www.ncrpb.nic.in)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2016 तक वार्षिक लेखों की सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	(i-iv)
2.	तुलनपत्र	1
3.	आय और व्यय लेखा (योजनागत)	2
4.	आय और व्यय लेखा (गैर-योजनागत)	3
5.	प्राप्तियां और भुगतान लेखा	4-5
6.	अनुसूचियां 1 से 20	6-15
7.	दिनांक 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची 21 एवं 22)	16-25



गोपनीय

संख्या / No.

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,  
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा  
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,  
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL  
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

सेवा में,

निदेशक/प्र. एवं वित्त.

दिनांक/Dated

सचिव, भारत सरकार,  
शहरी विकास मंत्रालय,  
निर्माण भवन,  
नई दिल्ली -110001

21/11/16

वित्त अ DDO 21/11/16

21/11/2016

विषय:- वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 2015-16 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जाएँ, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता०

(नीलेश कुमार साह)  
प्रधान निदेशक

संख्या: Comml.-I/HQ/NCRPB/Annual A/cs/1-63/2016-17/ 802

दिनांक : 18.11.2016

प्रतिलिपी:-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड नई दिल्ली 110 003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 1176-CA-III/ND-I/SAR-2015-16/NCRPB/78-2016 दिनांक 16.11.2016 के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्यों एवं ऑकड़ों की जाँच कर ली गई है तथा क्रम संख्या 4 के उप संख्या (iii) में रूल 33(1) एवम (3) की जगह रूल 33(1) एवम (2) कर दिया गया है। संशोधन को बोर्ड में दर्शा दिया गया है।

नीलेश कुमार साह

(नीलेश कुमार साह)  
प्रधान निदेशक

रा. रा. क्षे. बोर्ड

सदस्य सचिव

डायरी सं. 893/8

दिनांक 21/11/16

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फॅक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871

e-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2016**

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2016 and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under rule 33 (1) and (2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

**(A) Grants-in-aid**

During the year 2015-16, the NCRPB received grants-in-aid of ₹ 84 crore (₹ 80 crore under Plan and ₹ 4 crore under Non-Plan). The NCRPB has utilized the entire grant of ₹ 84 crore during the year.

**(B) Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report, have been brought to the notice of the Member Secretary of NCRPB through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us; the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2016; and
- b) In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**



**Place: New Delhi**

**Dated: 8 November 2016**

**( Neelesh Kumar Sah )  
Principal Director of Commercial Audit  
& Ex-officio Member, Audit Board-I,  
New Delhi.**

### Annexure to Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**  
Internal Audit for the year 2015-16 was conducted by a firm of Chartered Accountants.
2. **Adequacy of Internal Control System**  
Internal control needs to be further strengthened, especially with regard to deduction and deposit of tax deducted at source (TDS).
3. **System of physical verification of Fixed Assets**  
In absence of properly maintained fixed assets register, the authenticity of physical verification carried out cannot be commented upon.
4. **System of physical verification of Inventory**  
Physical verification of inventory was not carried out for the year 2015-16.
5. **Regularity in payment of statutory dues**  
Instances of TDS not being deposited or being deposited late were noticed.

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड**  
दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>कोष/पूंजी निधि और देयताएँ</b>			
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूंजी निधि)	1	36063641917	31833068168
विशेष आरक्षित	2	4109100000	5085709720
निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) कोष	3	-9584273	8344130
सुरक्षित ऋण	4	5000000000	5000000000
असुरक्षित ऋण	5	6746522967	9037126262
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	6	1628270732	1198785604
<b>योग</b>		<b>53537951343</b>	<b>52163033884</b>
<b>परिसम्पत्तियां</b>			
अचल परिसम्पत्तियां	7	8241660	7930978
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	172512989	117200575
एन.सी.आर.टी.सी. में योगदान-निवेश	9	50000000	50000000
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	53307196694	51987902331
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
<b>योग</b>		<b>53537951343</b>	<b>52163033884</b>
<b>महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां</b>	21		
<b>आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां</b>	22		

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-  
सदस्य सचिव

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड**  
दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजनागत)

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलनपत्र में अंतरित	तुलनपत्र में अंतरित
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		2700	5975
अर्जित ब्याज	11	4260938859	4172189304
अन्य आय	12	30089982	61316965
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		-1709	0
<b>योग (क)</b>		<b>4291029832</b>	<b>4233512244</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	13	36908812	45702414
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	5835342	2684319
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय (प्रावधान)		527988200	404963000
बाजार ऋण पर व्यय	15	1245795723	851714985
मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप		1585030	1558930
<b>योग (ख)</b>		<b>1818113107</b>	<b>1306623648</b>
<b>व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)</b>		<b>2472916725</b>	<b>2926888596</b>
पूर्व अवधि व्यय	16	4300240	0
बांड रिडम्प्शन रिज़र्व (बी.आर.आर.) में अंतरित		1674390280	1549913731
आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत) में अंतरित		14652456	38780249
उप-योग		<b>1693342976</b>	<b>1588693980</b>
<b>व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित</b>		<b>779573749</b>	<b>1338194616</b>
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-  
सदस्य सचिव



**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड**  
दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत)

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		40000000	39000000
शुल्क और अभिदान		0	0
पीएफ और एनपीएस/सेवनिवृत्ति लाभ के निवेश से आय	17	14692674	9876366
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		0	0
अन्य आय	18	18097	31187
आय और व्यय लेखा (योजनागत) से अंतरित		14652456	38780249
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी		0	0
<b>योग (क)</b>		<b>69363227</b>	<b>87687802</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	19	58021380	76965466
अन्य प्रशासनिक व्यय	20	11341847	10722336
अनुदानों, इम्दादों आदि पर व्यय		0	0
<b>योग (ख)</b>		<b>69363227</b>	<b>87687802</b>
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित		शून्य	शून्य
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भ्रूगतान

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत
<b>I. आरम्भिक शेष</b>						
क) हाथ में रोकड़	37147	37147	0	62717	62717	0
ख) बचत खाते में शेष	1619605232	1619605232	0	1854076209	1854076209	0
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	1506968	1506968	0	3917476	0	3917476
घ) (एनपीएस) बचत खाते में शेष	767	767	0	737	0	737
<b>उप योग</b>	<b>1621150114</b>	<b>1621150114</b>	<b>0</b>	<b>1858067139</b>	<b>1854138926</b>	<b>3918213</b>
<b>II) प्राप्त अनुदान</b>						
क) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से	840000000	800000000	40000000	839000000	800000000	39000000
ख) शहरी विकास मंत्रालय से, आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए	0	0	0	0	0	0
<b>III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस)</b>						
क) बचत खाते पर ब्याज	122634	0	122634	191637	0	191637
ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	2371894	0	2371894	8972909	0	8972909
<b>IV) प्राप्त ब्याज</b>						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	1701954330	1701954330	0	2066961401	2066961401	0
ख. बचत बैंक	24131692	24131692	0	30564420	30564420	0
ग. बैंक जमाओं पर	2538779048	2538779048	0	1937137112	1937137112	0
<b>V अन्य आय</b>						
क. रा.रा.क्ष. प्रकाशनों की बिक्री	2700	2700	0	5975	5975	0
ख. पहचानपत्रों/विविध रसीदों के गम होने पर	3305892	2975174	330718	1887	0	1887
ग. सूचनाधिकार (आर.टी.आई.) शुल्क	3295	0	3295	8400	0	8400
घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	48777	48777	0	0	0	0
ङ. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	1100	0	1100	5700	1100	4600
च. आयकर वापसी	0	0	0	0	0	0
छ. आयकर वापसी पर ब्याज	0	0	0	0	0	0
ज. स्टाफ को दिए गए ऋण पर ब्याज	203885	0	203885	169396	0	169396
झ. संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0	0	0	0	0	0
ण. पुराने समाचार पत्र की बिक्री	0	0	0	0	0	0
<b>VI) उधार ली गई धनराशि</b>						
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	0	0	0	1296277313	1296277313	0
ख) के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	23100000	23100000	0	258200000	258200000	0
<b>VII) अन्य प्राप्तियां</b>						
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	5902908253	5902908253	0	6130838379	6130838379	0
ख) ऋण पर अधिक वापसी	0	0	0	2970000	2970000	0
ग) भूनाई गई सावधि जमा	49187909720	49187909720	0	37700133268	37700133268	0
घ) भविष्य निधि/एन.पी.एस. निवेशों की परिपक्वता	110862649	0	110862649	91572096	0	91572096
ङ) बयाना राशि/ जमानत राशि	40000	0	40000	6000	0	6000
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	1355496	0	1355496	1140195	0	1140195
छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	648092	0	648092	340370	0	340370
ज) जी.आई.एस. धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियां	142732	0	142732	42842	0	42842
झ) जी.पी.एफ. अंशदान/अग्रिम/वापसी	4107380	0	4107380	3932540	0	3932540
ण) एन.पी.एस. वसूली	534367	0	534367	502485	0	502485
ट) रा.रा.क्ष.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर की कटौती	5702253	3528481	2173772	3845213	0	3845213
ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम/शुल्क की वापसी	193243	0	193243	226919	68406	158513
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से सम्बंधित वसूली	7700	0	7700	6300	0	6300
ढ) एन.सी.आर.टी.सी. लोगो की प्रोसेसिंग फीस	0	0	0	0	0	0
<b>योग</b>	<b>61869587246</b>	<b>61806488289</b>	<b>163098957</b>	<b>52231109897</b>	<b>52077296300</b>	<b>153813596</b>

ह.ज.-  
सहायक निदेशक (वित्त.)/डीडीओ

ह.ज.-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह.ज.-  
सदस्य सचिव

पृष्ठ 4 पर जारी..

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2016 समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि ₹ में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
<b>I. व्यय</b>						
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 और 19 के अनुरूप)	58023745	5019801	53003944	54953306	16249921	38703385
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप)	68986133	53269428	15716705	13783989	2926495	10857494
ग) बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	936866896	936866896	0	1091770294	1091770294	0
<b>II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण</b>	1651491000	1651491000	0	2379142000	2379142000	0
<b>III. किए गए निवेश और जमा</b>						
क) एन.सी.आर.टी.सी. में समता पूंजी (इक्विटी) योगदान	0	0	0	0	0	0
ख) सावधि जमा (एफ.डी.आर.) में निवेशित राशि	45070000000	45070000000	0	38150400000	38150400000	0
ग) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्त लाभ	1529000000	0	1529000000	1056000000	0	1056000000
घ) अन्य - बीआरआर	6421300000	6421300000	0	6675709720	6675709720	0
<b>IV. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय</b>						
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	1729640	1729640	0	533981	533981	0
<b>V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. ऋणों और अग्रिमों का भुगतान</b>						
क) स्टाफ को विविध अग्रिम	1763365	0	1763365	309651	0	309651
ख) जी.पी.एफ. से अग्रिम/आहरण	0	0	0	1763000	0	1763000
ग) यात्रा अग्रिम	0	0	0	369689	0	369689
घ) एल.टी.सी. अग्रिम	0	0	0	543837	0	543837
ङ) पेट्रोल अग्रिम	0	0	0	4500	0	4500
च) स्टाफ को अग्रिम (ब्याज सहित)	0	0	0	130500	0	130500
<b>VII. अन्य भुगतान</b>						
क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन	2651000000	2651000000	0	2000000000	2000000000	0
ख) मूलधन की वापसी (ए.डी.बी. ऋण)	33755026	33755026	0	0	0	0
ग) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	2970000	2970000	0	0	0	0
घ) बयाना/सुरक्षा जमा	40000	0	40000	6000	0	6000
ङ) उधारकर्ता अभिकरणों (एजेंसियों)/बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती	122761653	122761653	0	130094735	130094735	0
च) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	131360	0	131360	45167	0	45167
छ) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	5901921	3599329	2302592	3921455	1788000	2133455
ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	685080	0	685080	352640	0	352640
झ) नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	534367	0	534367	456912	0	456912
ञ) आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए भुगतान	17928403	17928403	0	0	0	0
ट) प्रशिक्षण तथा संगोष्ठी (सेमिनार) अग्रिम	95400	95400	0	68406	68406	0
ठ) बचत एवं सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज की वापसी	323404	323404	0	0	0	0
<b>VIII. इति शेष</b>						
क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	31172	31172	0	37147	37147	0
ख) बचत खाते में बैंक शेष	4768019440	4768019440	0	1619605232	1619605232	0
ग) पी.एफ. बचत खाते में बैंक शेष	4348443	4348443	0	1506968	1506968	0
घ) एन.पी.एस. बचत खाते में बैंक शेष	798	798	0	767	767	0
<b>योग</b>	<b>61969587246</b>	<b>61742509833</b>	<b>227077413</b>	<b>52231109897</b>	<b>52069833667</b>	<b>161276230</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)</b>		
<b>वर्ष के शुरु में शेष</b>	<b>31833068168</b>	<b>27694873552</b>
जोड़ें: शहरी विकास मंत्रालय से अंशदान	800000000	800000000
जोड़ें: आय तथा व्यय लेखा (योजना) से अंतरित	779573749	1338194616
जोड़ें: आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना) से अंतरित	0	0
जोड़ें: बी.आर.आर. से अंतरित	2651000000	2000000000
<b>वर्ष समाप्ति पर शेष</b>	<b>36063641917</b>	<b>31833068168</b>

अनुसूची-2

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>विशेष आरक्षित</b>		
<b>1. बांड विमोचन (रिडम्सन) रिजर्व</b>		
पिछले लेखों के अनुसार	5085709720	5535795989
वर्ष के दौरान जमा	1674390280	1549913731
घटाएँ: रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड निधि फंड में कर योग्य बांड 2018 सीरीज के विमोचन के पश्चात अंतरित	-2651000000	-2000000000
<b>वर्ष समाप्ति पर शेष</b>	<b>4109100000</b>	<b>5085709720</b>

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओं

ह./-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

निर्धारित/बंदोबस्ती (एडोमेंट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) क्षेत्रीय त्वरित टंजिट प्रणाली (आर.आर.टी.एस.) गलियारों के लिए डी.पी.आर. तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान वर्ष के शुरू में शेष जोड़े: वर्ष के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान जोड़े: हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुदान	8344130 0 0	8344130 0 0
<b>उप-योग</b>	<b>8344130</b>	<b>8344130</b>
(ख) आरआरटीएस/अध्ययन हेतु किया गये व्यय - परामर्शदाता को आर.आर.टी.एस. अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क उप-योग	17928403	0
<b>वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख)</b>	<b>-9584273</b>	<b>8344130</b>

अनुसूची-4		
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां		
(राशि ₹ में)		
सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>निजी स्थापित बांड</b>		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	5000000000	5000000000
<b>योग</b>	<b>5000000000</b>	<b>5000000000</b>

अनुसूची-5		
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां		
(राशि ₹ में)		
असुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>निजी स्थापित बांड</b>		
क) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज I	0	2651000000
ख) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज II	1349000000	1349000000
ग) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	3947027103	3755447967
घ) के.एफ.डब्लू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण	1450495864	1281678295
<b>योग</b>	<b>6746522967</b>	<b>9037126262</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसंधियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>चालू देयताएं और प्रावधान</b>		
<b>सांविधिक देयताएं :</b>		
1. सामान्य भविष्य निधि	30819951	28536673
3. जी.आई.एस. निधि	15872	2325
4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	64526	25620
5. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से श्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती	271314	307727
6. अति देय	202500	205000
7. सी.पी.एफ. / बोर्ड का अंशदान		0
<b>उप-योग</b>	<b>31374163</b>	<b>29077345</b>
<b>उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:</b>		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सीरीज I	0	39209379
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सीरीज II	18927394	18927394
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सीरीज I	288936986	288936986
4. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण पर ब्याज जमा	3713979	2435035
5. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	6671339	5863678
<b>उप-योग</b>	<b>318249698</b>	<b>355372472</b>
<b>अन्य चालू देयताएँ:</b>		
1. देय खर्च	5108042	4071948
2. बयाना	496965	496965
3. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) से ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	542602	3512602
<b>उप-योग</b>	<b>6147609</b>	<b>8081515</b>
<b>प्रावधान :</b>		
1. कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के लिए		
क) ग्रेच्युटी	14408862	13960590
ख) पेंशन (वर्तमान)	4162693	3312382
ग) पेंशन (सेवा निवृत्त)	137903955	129930800
डी) संचित छुट्टी नकदीकरण	14954838	15995442
<b>उप-योग</b>	<b>171430348</b>	<b>163199214</b>
2. रा.रा.क्षे. सेल हेतु देय व्यय		
क) एनसीआर सेल उ.प्र. हेतु प्रावधान (2005-06 से 2011-12)	0	10208975
ख) एनसीआर सेल दिल्ली हेतु प्रावधान (2009-10 से 2012-13)	5166269	5166269
ग) एनसीआर सेल हेतु प्रावधान (2013-14)	0	11241827
घ) एनसीआर सेल हेतु प्रावधान (2014-15)	0	27927504
ड) एनसीआर सेल हेतु प्रावधान (2015-16)	29874625	0
<b>उप-योग</b>	<b>35040894</b>	<b>54544575</b>
3. अन्य प्रावधान		
क) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर वचनबद्धता प्रभाव	3786909	2824119
ख) एडीबी ऋणों पर गारंटी शुल्क	0	7862726
ग) केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क	37062426	52442566
घ) पीएमसी सेवाएं-एडीबी	1446935	1295071
ड) अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान	1023731750	524086000
<b>उप-योग</b>	<b>1066028020</b>	<b>588510482</b>
<b>कुल योग</b>	<b>1628270732</b>	<b>1198785604</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्तियों का विवरण

विवरण	संरक्षित ब्याक				मूल्य ह्रास				निवल ब्याक			
	वर्ष के शुरु के अनुसार	180 दिन के पहले संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यांकन	दरें (%)	वर्ष के शुरु के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल योग	वर्तमान वर्ष की समाप्ति के अनुसार	पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति के अनुसार
कार्यालय स्थान आईएचसी	5107471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5107471.50	0.10	510747.15	0.00	510747.15	4596724.35	5107471.50
वाहन	929840.06	744394.00	0.00	744394.00	50380.00	1623854.06	0.15	137287.52	111659.10	248946.62	1374907.44	929840.06
फर्नीचर/फिक्सचर	544041.25	52360.00	75054.00	127414.00	0.00	671455.25	0.10	54404.14	8988.70	63392.84	608062.41	544041.25
कार्यालय उपकरण	932114.13	54844.00	22200.00	77044.00	3277.14	1005880.99	0.15	139760.57	9891.60	149652.17	856228.82	932114.13
कंप्यूटर/परीफेरल	413240.79	194524.00	789580.00	984104.00	0.00	1397344.79	0.60	247944.47	353588.40	601532.87	795811.92	413240.79
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	3157.94	5106.00	8453.00	13559.00	0.00	16716.94	0.60	1894.76	5599.50	7494.26	9222.68	3157.94
वार्षिक प्रकाशन संदर्भ पुस्तकें	1112.00	1450.00	1404.00	2854.00	0.00	3966.00	1.00	1112.00	2152.00	3264.00	702.00	1112.00
<b>योग</b>	<b>7930977.67</b>	<b>1052678.00</b>	<b>896691.00</b>	<b>1949369.00</b>	<b>53657.14</b>	<b>9826689.53</b>		<b>1093150.61</b>	<b>491879.30</b>	<b>1585029.91</b>	<b>8241659.62</b>	<b>7930977.67</b>
<b>पूर्ववर्ती वर्ष 2014-15</b>	<b>8953436.60</b>	<b>233337.00</b>	<b>303484.00</b>	<b>536821.00</b>	<b>350.00</b>	<b>9469907.60</b>		<b>1397293.48</b>	<b>161636.75</b>	<b>1558929.93</b>	<b>7930977.67</b>	<b>8953436.00</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (बिस्वा/डीडीओ)

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.3.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(राशि ₹ में)		
<b>निवेश -अन्य</b>		
<b>(क) भविष्य निधि निवेश</b>		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	22400000	23000000
3. शेयर	0	0
4. डिबेंचर्स और बांड	1000000	1000000
5. सब्सिडी और संयुक्त उद्यम	0	0
6. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	521711	558500
सेविंग बैंक में जमा राशि	4348443	1506968
<b>उप-योग</b>	<b>31681539</b>	<b>29476853</b>
<b>(ख) नई पेंशन स्कीम</b>		
सेविंग बैंक में जमा राशि	798	767
<b>उप-योग</b>	<b>798</b>	<b>767</b>
<b>(ग) सेवानिवृत्ति लाभ निधि</b>		
बैंक में सावधि जमा	130500000	82600000
सेवानिवृत्ति लाभ निवेश पर जमा	10330652	5122955
<b>उप-योग</b>	<b>140830652</b>	<b>87722955</b>
<b>सकल योग</b>	<b>172512989</b>	<b>117200575</b>

31.3.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(राशि ₹ में)		
<b>निवेश - योगदान</b>		
निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में योगदान	50000000	50000000
<b>उप-योग</b>	<b>50000000</b>	<b>50000000</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.3.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसंधानियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि</b>		
<b>क. वर्तमान परिसंपत्तियां:</b>		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	266417	268125
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	146598	191675
3. विविध देनदार:		
क) 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	98361	98361
उप-योग	511376	558161
4. हाथ में नकद शेष	31172	37147
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- बचत खाते (स्वतः विनिमय वाले एफडीआर समेत)	4766019440	1619605232
- बी.आर.आर. की एफ.डी.आर.	4109100000	5085709720
- एफडीआर - अन्य	25250000000	21970000000
उप-योग	34125119440	28675314952
<b>कुल (क)</b>	<b>34125661988</b>	<b>28675910260</b>
<b>ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां</b>		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	68144	109829
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	87000	55000
ii) एलटीसी अग्रिम	0	195000
iii) पेट्रोल अग्रिम	1500	2500
iv) विविध अग्रिम	8502	2500
उप-योग	97002	255000
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों	17128007946	21379425199
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	556168	123043
ख) वसूली योग्य अग्रिम आय कर, एफ.बी.टी. और श्रोत पर कर (टी.डी.एस.) (कर का निवल प्रावधान)	536199722	413438069
ग) सेमिनार/बैठक अग्रिम	85200	60000
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	26648	26648
ड) प्राप्त होने वाला आरटीआई शुल्क	230	0
उप-योग	536867968	413647760
3. अर्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किन्तु अप्राप्त ब्याज	890201779	766709161
ख) ऋण पर अर्जित किन्तु अप्राप्त ब्याज	612873788	744633304
ग) स्टाफ पर अर्जित किन्तु अप्राप्त ब्याज	811198	1029232
घ) बचत खाते पर अर्जित किन्तु अप्राप्त ब्याज	12606881	6182587
उप-योग	1516493646	1518554284
<b>कुल (ख)</b>	<b>19181534706</b>	<b>23311992072</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>53307196694</b>	<b>51987902331</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.3.2016 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अर्जित ब्याज		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1	<b>सावधि जमा पर:</b>		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	2660677282	2183751609
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	संस्थानों के पास	0	0
घ)	अन्य	0	0
2	<b>बचत खातों पर:</b>		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	29096522	32654911
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	डाकघर बचत खाते	0	0
घ)	अन्य	0	0
3	<b>ऋणों पर:</b>		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	1571110669	1943660084
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	4386	18747
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	50000	12103953
<b>कुल</b>		<b>4260938859</b>	<b>4172189304</b>

अनुसूची-12  
(राशि ₹ में)

अन्य आय:		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क)	आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	0	0
ख)	अन्य आय	80436.86	4040
ग)	एनसीआर सेल हेतु अत्याधिक प्रावधानों को वापस लिखा गया (2014-15)	1667095	5110018
घ)	मूल्यांकन शुल्क का प्रावधान वापस लिखा गया	0	325907
ङ)	अवसंरचना परियोजनाओं को अनुदान का प्रावधान वापस लिखा गया	28342450	55877000
<b>कुल</b>		<b>30089982</b>	<b>61316965</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.3.2016 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

स्थापना व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	7034187	5493272
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय	0	2072663
ग) एनसीआर प्रकोष्ठों पर व्यय हेतु प्रावधान	29874625	27927504
घ) एनसीआर सेल उ.प्र. हेतु अतिरिक्त प्रावधान (वित्त वर्ष 2005-06 से 2011-12)	0	10208975
<b>कुलयोग</b>	<b>36908812</b>	<b>45702414</b>

अनुसूची-14  
(राशि ₹ में)

अन्य प्रशासनिक व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	4459
ख) अध्ययन और सर्वेक्षण	4259961	1498496
ग) विज्ञापन और प्रचार	287083	113974
घ) बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	373858	320280
ङ) अंकेक्षण शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	700897	0
च) प्रिंटिंग प्रभार	0	0
छ) संगोष्ठी और प्रशिक्षण	97613	747110
ज) टीडीएस पर ब्याज	115930	0
<b>कुलयोग</b>	<b>5835342</b>	<b>2684319</b>

अनुसूची-15  
(राशि ₹ में)

उधार पर हुआ व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांडों पर ब्याज	765747939	950625181
ख) लिस्टिंग शुल्क	101124	221237
ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	53810	33000
घ) ट्रस्टीशिप फीस	50313	67416
ङ) पीएमसी सेवाओ - एडीबी पर व्यय (प्रावधानों समेत)	11000964	19426837
च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	1924060	2284654
छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	171750	112360
ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	46490992	38662648
झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	11975920	8619194
ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	371051731	-168363906
ट) एनएसडीएल/सीएसडीएल प्रभार	2290	1124
ठ) भुगतान पर बैंक प्रभार	22180	25240
ड) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज गारंटी शुल्क (प्रावधान का)	37202650	0
<b>TOTAL</b>	<b>1245795723</b>	<b>851714985</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

पूर्ववर्ती व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	4300240	0
कुल योग	4300240	0

अनुसूची-17

31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

भविष्य निधि/एनपीएस निधि/सेवानिवृति लाभ के निवेश पर आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	2082209	2003395
ख) सेवानिवृति निधि निवेश पर ब्याज	12373065	7692430
ग) भविष्य निधि बचत खातों पर ब्याज	237369	180510
घ) एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	31	31
कुल	14692674	9876366

अनुसूची-18

31.3.2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	1100	4600
2. स्टाफ कार के उपयोग हेतु वसूली	8400	6300
3. आरटीआई शुल्क	3525	8400
4. पहचान पत्र खोने पर	0	100
6. आईएसटीएम से प्रशिक्षण शुल्क की वापसी	0	10000
7. अन्य	5072	1787
कुल	18097	31187

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड  
31.3.2016 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल + मंहगाई भत्ता)	11451858	11185497
भत्ते एवं बोनस	21102051	19221327
एन.पी.एस. में योगदान	586200	498545
<b>अन्य</b>		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	330787	239536
भविष्य निधि खाते पर ब्याज	2452975	2163918
भर्ती व्यय	279974	189392
संपदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	1486629	129221
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	86790	63607
वर्दी	42804	17584
<b>प्रावधान</b>		
ग्रेच्युटी का प्रावधान	2599420	2473123
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	1794169	2943760
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	5551589	868498
पेंशन (गैर वर्तमान) का प्रावधान	10256134	36971458
<b>कुलयोग</b>	<b>58021380</b>	<b>76965466</b>

अनुसूची-20

(राशि ₹ में)

प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	299759	276703
हाउस कीपिंग	2375331	2277518
मरम्मत और रखरखाव	711124	638527
किराया, दर और कर	1830072	1356605
वाहनों के चालन और रखरखाव पर	370591	359735
डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	668894	608627
छपाई, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	438584	718913
यात्रा तथा वाहन व्यय	993219	1130003
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	109000	8000
कानूनी शुल्क पर व्यय	908848	915289
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	98160	528950
आतिथ्य खर्च	190210	213213
व्यावसायिक शुल्क	2226451	1588579
<b>अन्य</b>	121604	101674
<b>कुल</b>	<b>11341847</b>	<b>10722336</b>

ह./-  
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-  
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-  
सदस्य सचि

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली व नीतियाँ :-

**1. लेखा प्रणाली कन्वेन्शन:**

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत रूढ़ी और प्रोद्घवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

**ख) लेखों का प्रारूप और नजदीकी मूल्य तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:**

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं। वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है। प्रत्येक योजनागत तथा गैर-योजनागत लेन-देन के लिए अलग प्राप्ति तथा भुगतान लेखा एवं आय एवं व्यय का विवरण तैयार किया गया है।

**2. आय निर्धारण:**

सभी मदों की आय का निर्धारण प्रोद्घवन लेखा प्रणाली के आधार पर किया गया है।

**3. व्यय की मान्यता:**

क) स्टाफ को एल.टी.सी., मेडिकल क्लेम तथा ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति के भुगतान जिसे नकद आधार पर लिया गया है, को छोड़कर सभी व्ययों को प्रोद्घवन लेखा प्रणाली के आधार पर लिया गया है।

ख) सभी पूर्व अवधि व्यय तथा पूर्वदत्त व्यय जिनको इस वर्ष के खर्चों में मिला दिया था उन्हें भी अलग कर पृथक शीर्ष (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है।

**4. अचल परिसम्पत्ति:**

क) अचल परिसम्पत्तियां मूल्यहास का प्रभार घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई हैं।

ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है।

5. अचल परिसम्पत्तियां मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा (योजना) में

प्रभारित किया गया है। सभी अचल सम्पत्तियों को वित्त वर्ष 2015-16 में आयकर नियमों के अनुसार पुनः समूहित किया गया है तथा मूल्यहास के दर अनुसूची 7 में दर्शायी गई है।

#### 6. सेवा-निवृत्ति लाभ:

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार, वर्ष के आय और व्यय लेखों (गैर योजना) तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार किए जा रहे हैं और तदनुसार प्रति वर्ष अपेक्षित निवल राशि आय-व्यय लेखा (योजना) से आय-व्यय (गैर योजना) में अंतरित की जाती है। सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत पेंशन के प्रावधान को पेंशन (वर्तमान) और पेंशन (गैर-वर्तमान) में 12 माह में देय तथा 12 माह के उपरांत देय के लिए विभाजित किया गया है। यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची-VI के अनुसरण में है।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में सामान्य भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है।

#### ग) नई पेंशन योजना निधि:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने अपने दिनांक 17.08.2009 का.ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड में आवश्यक पंजीकरण कराया गया है। नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड को अंतरित की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में

एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

#### घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक नई पॉलिसी शुरू की है ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एलआईसी को ₹6,91,873/- अंतरित किए । बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियां कर रहा है और उसे प्रति माह एलआईसी को भेज रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एलआईसी को ब्याज बचत लाभों तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है।

#### 7. इन्वेंटरी

##### क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन

बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत, आय और व्यय लेखा (योजना) खर्च में लिखी जाती है तथा बेची गई पुस्तकों से प्राप्त राशि को एन.सी.आर. पुस्तकों और प्रकाशनों से आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के रहतिया (स्टॉक) लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलना पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर बची हुई स्टेशनरी को क्रयमूल्य पर उसे तुलना पत्र में दर्शाया जाता है।

#### 8. अध्ययन और सर्वेक्षण

अध्ययन और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय-व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किए जाते हैं।

#### 9. निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडामेंट) निधि

शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आर.आर.टी.एस. के तीन कोरीडोर के विस्तृत परियोजना प्रत्यावेदन (डी.पी.आर.) बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय से आर.आर.टी.एस. की विस्तृत परियोजना प्रत्यावेदन (डी.पी.आर.) बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।



## 10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एन.सी.आर. प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एन.सी.आर.प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया गया है।

## 11. आयकर:

क) उपर्युक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने अपने आदेश की संख्या डी.जी.आई.टी.(ई) 10(23सी) iv/2008 दिनांक 02.5.2008 के द्वारा रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी)(iv) के उप खण्ड (IV) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है जो की वित्त वर्ष 2003-04 से प्रभावी है को देखते हुए बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

## 12. बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व (बीआरआर) का सृजन:

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 7 वर्ष की अवधि (पुट/काल आप्शन) के लिए ₹200 करोड़ के कर योग्य बांड्स प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार से जुटाए। सांविधानिक आवश्यकता अनुसार इन्हें जुटाने से पूर्व बांडों का वित्तीय मूल्यांकन सी.आर.आई.एस.आई.एल. तथा इंडिया रेटिंग (पूर्व में फिच रेटिंग) अभिकरणों (एजेन्सी) से कराया गया ।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक ₹900 करोड़ की अतिरिक्त राशि तीन अन्य बॉन्ड ईशू के जरिए जुटाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड बॉन्ड संबंधी अपनी देनदारियों को पूरा कर सके, वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने 7 वर्ष के (पुट/काल आप्शन) अवधि को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया और आंतरिक प्रोद्भूत राशि से इस बीआरआर में राशि अंतरित की जा रही है (यदि वार्षिक लेखा को अंतिम रूप दिए जते समय अधिशेष उपलब्ध हो तो) जो कि आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया जा रहा है । ये बीआरआर निधि पब्लिक सेक्टर बैंकों में बेहतर रिटर्न के लिए सावधि जमा किया जा रहा है। बॉन्ड रिडीम होने के पश्चात, रिडम्पशन निधि को रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरित किया जाता है।

13. रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड में 2010-11 में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए (कर योग्य रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड बॉन्ड सिरीज-1(2020) से ₹500 करोड़ जुटाए। से.बी. के दिनांक 11 मई, 2009 के परिपत्र सं. एस.ई.बी.आई./आई.एम.डी./बॉन्ड/1/2009/11/2005 दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसरण में यह

बॉन्ड जारी (ईशु) के ट्रस्टी यानी कार्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भावी ऋणों पर श्रुवात्मक बंधक (लियन) के द्वारा सुरक्षित है।

**14. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:**

रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड ने दिनांक 22.03.2012 को संपन्न अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित किया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा एस.डब्ल्यू.एम. सेक्टर की सभी परियोजनाएं पी.एस.एम.जी. (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई है, जिनमें 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य है। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। अतः अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान के भुगतान हेतु आय एवं व्यय खाते में आवश्यक प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं तथा इन्हें "अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

**15. विदेशी मुद्रा में लेन देन:**

विदेशी मुद्रा में हुए लेनदेन का लेखा लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे ए.डी.बी./के.एफ.डब्ल्यू. से लिए गए ऋणों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है।

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2016 को तुलना पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा आकस्मिक देनदारियों की स्थिति:

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा प्रबंधन पत्र संख्या डी.डी.-II/A/c/NCRPB/10-3/2012-13/18 दिनांकित 14.10.2013 में की गई समुक्तियों के अनुपालन में, लेखों पर टिप्पणियां अलग से दिखायी गई हैं।

### 1. पूर्व अवधि व्यय:

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा द्वारा अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या डी.डी.-II/AnnualA/c/NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांकित 10.10.2013 में की गई समुक्तियों के आधार पर पूर्व अवधि व्यय को अलग से आय-व्यय लेखा में दिखाया गया है।

### 2. रा.रा.क्षे. नियोजन एवं निगरानी सेल:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, रा.रा.क्षे.प्रभाग (सेल) पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्बंधित रा.रा.क्षे. प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड द्वारा सम्बंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए रा.रा.क्षे.प्रभाग (सेल) से प्राप्त विगत वर्षों के दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं। 31.03.2015 तक देय रा.रा.क्षे.प्रभाग (सेल) सम्बंधी व्यय के लिए ₹ 5,45,44,575/- का प्रावधान 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न तुलनापत्र की अनुसूची 6 में दर्शाया गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखों निम्नलिखित समायोजन किए गए:

(i) हरियाणा सेल: हरियाणा सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2014-15 में ₹ 73,08,340/- का प्रावधान किया गया था परंतु इसकी तुलना में वर्ष 2015-16 में ₹1,10,03,303/- का वास्तविक भुगतान किया गया था। उक्त के अनुसार अतिरिक्त राशि को ₹36,94,963/- को आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित किया गया है।

(ii) उत्तर प्रदेश सेल: उत्तर प्रदेश सेल को वर्ष 2014-15 में देय व्यय के लिए ₹1,23,60,708/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके अनुरूप, प्रतिपूर्ति के लिए मात्र ₹1,06,93,613/- की रकम ही प्रदान की जा सकी तथा (जनवरी, 2016 में भुगतान

किया गया)। अतः 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार, ₹16,67,095/- (₹1,23,60,708/- में से ₹1,06,93,613/- घटा के) के अतिरिक्त प्रावधान को दिनांक चालू वित्त वर्ष के आय एवं व्यय (योजना) खाते में वापस लिखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2011-12 से सम्बंधित लिखा ₹1,02,08,975/- का रोका हुआ भुगतान, जिसके लिए लेखा पुस्तक में दिनांक 31.3.2015 में प्रावधान बनाया गया था को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया है (भुगतान माह अप्रैल, 2015 में किया गया है)।

(iii) राजस्थान सेल: राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2014-15 में ₹82,58,456/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 में ₹88,63,733/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। अतः ₹6,05,277/- की अतिरिक्त राशि आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित की गई है।

(iv) दिल्ली सेल: वर्ष 2013-14 से दिल्ली सेल को देय व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2009-10 से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है तथा वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए बनाया गया ₹51,66,269/- का एक प्रावधान अभी उपलब्ध है।

ग) रा.रा.क्षे.प्रभाग (सेल) व्यय के लिए निम्न प्रकार से वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹2,98,74,625/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	89,33,708/-
उत्तर प्रदेश	99,37,614/-
हरियाणा	1,10,03,303/-
दिल्ली	शून्य
कुल	2,98,74,625/-

दिनांक 31.3.2016 को समाप्त वर्ष हेतु रा.रा.क्षे.प्रभाग (सेल) को देय व्यय का कुल प्रावधान ₹3,50,40,894/- है जो कि बोर्ड के वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के में दर्शाया गया है।

### 3. आयकर

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत आकलन वर्ष 2003-04 से 2.5.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुये वर्ष 2015-16 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर का प्रावधान नहीं बनाया गया है। परंतु वर्ष 2015-16 के लिये उधारकर्ता एजेंसियो/बैंकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर ₹12,27,61,653/- का स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) की गई

है। तदनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 10 में शीर्ष "अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशि" के तहत वर्ष 2015-16 के लिए स्रोत पर कर योग्य कटौती के रूप में दर्शाया गया है। इसके लिए आकलन वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से दावा किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2007-08 से 2014-15 से सम्बद्ध अग्रिम आयकर/वसूली योग्य स्रोत पर आयकर कटौती (निवल का प्रावधान) की ₹41,34,38,069/- की राशि बोर्ड के 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई। ऋणी (एजेंसियों) / बैंकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर ₹12,27,61,653/- का स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) की है। तदनुसार 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग से ₹53,61,99,722/- वसूल किए जाने हैं।

#### 4. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार

क) एशियाई डेवलपमेंट बैंक: पहली किश्त की राशि 78 मिलियन अमेरिकी डालर में से 18 मिलियन अमेरिकी डालर वर्ष 2013-14 में रद्द कर दी गई है तथा दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार ए.डी.बी. से ली गई कुल बकाया ऋण डालर 60 मिलियन (₹375.54 करोड़) है। इससे पूर्व कुल बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर पर हुई हानि ₹22.53 करोड़ "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित किया गया। बोर्ड ने 59.50 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल राशि को ऋण समाप्ति तिथि 31.12.2014 तक उपयोग कर लिया था। ऋण के पुनर्भुगतान की प्रथम किश्त 4,96,689.61 अमेरिकी डालर का भुगतान ए.डी.बी. को कर दिया गया है।

ख) के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेन्सी): दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. से ली गई कुल बकाया ऋण राशि 18.98 मिलियन यूरो (₹128.16 करोड़) है। वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड ने के.एफ.डब्ल्यू. से यूरो 330448.47 (₹2.31 करोड़) का नया ऋण लिया है तथा वर्ष 2015-16 के दौरान कुल बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर के कारण हुए हानि ₹14.57 करोड़ को "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है तथा आय तथा व्यय (योजना) खाते में प्रभारित किया गया है। दिनांक 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार बोर्ड द्वारा ली गई ऋण राशि यूरो 19.31 मिलियन है।

#### 5. अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान:

दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान का कुल बकाया प्रावधान ₹52.40 करोड़ था जैसा कि वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखे में दिखाया गया है। चूंकि कोई परियोजना इस अनुदान के मापदंडों को पूर्ण नहीं कर पाई इसलिए वर्ष 2015-16 में कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। इसके साथ ही दिनांक 31.3.2016 तक,

अधिक समय लेने एवं समयबद्धता की शर्त पूरी न पाने के कारण अनुदान पाने योग्य नहीं रही। कार्यान्वयन एजेंसी (GNIDA) ने बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रक्रियात्मक अनुपालना के कारण समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। अनुदान के सम्बंध में पिछले वर्षों में बनाए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:

देय अनुदान के लिए बनाए गए प्रावधानों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष				क्रमिक योग	पूर्व वर्ष
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16		
वित्त वर्ष के लिए बनाया गया प्रावधान	350.00	1400.00	4049.63	5279.88	11079.51	5799.63
घटाएँ: वर्ष का वापस लिखा गया प्रावधान	350.00	208.78	0.00	283.43	842.21	558.78
<b>वर्ष का निवल प्रावधान</b>	<b>0.00</b>	<b>1191.22</b>	<b>4049.63</b>	<b>4996.45</b>	<b>10237.30</b>	<b>5240.85</b>

अतः वर्ष 2015-16 में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के अनुदान हेतु वित्त वर्ष 2015-16 के लेखा में समानुपातिक आधार पर ₹4996.45 लाख का निवल प्रावधान बनाया गया है। भविष्य में आने वाली ऐसी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह राशि आय तथा व्यय (योजना) खाते में प्रभारित की गई है।

#### 6. विशेष रिजर्व/बांड रिडंपशन रिजर्व (बीआरआर)

दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार कुल बी.आर.आर. ₹508.57 करोड़ था। वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹167.44 करोड़ (जिसमें ब्याज पुनर्निवेश भी शामिल है) की राशि अंतरित की गई तथा आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित की गई है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने फरवरी, 2016 में ₹265.10 करोड़ के असुरक्षित करयोग्य बांड 2019 सिरीज-I का विमोचन काल आप्शन के द्वारा किया है। यह रकम बी.आर.आर. से ली गई है। वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों की सूची 2 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को कुल बी.आर.आर. ₹410.91 करोड़ है।

#### 7. स्थापना व्यय (योजना) वेतन

अनुसूची 13 में शीर्ष स्थापना व्यय (योजना) के अंतर्गत दर्शाए गए ₹70,34,187/- बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाना है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद शहरी विकास मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए हैं जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक प्रोदभवन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (योजना) खाते में दर्शाया जा रहा है।

8. निवेश: एन.सी.आर. परिवहन निगम मे इक्विटी योगदान

एनसीआरटीसी के गठन के लिए कैबिनेट नोट दिनांक 11.07.2013 को अनुमोदित किया गया था। जापन और एसोसिएशन के लेख दिनांक 01.08.2013 को हस्ताक्षरित किए गए थे तथा एन.सी.आर.टी.सी. का गठन 21.08.2013 को हुआ । इसके अतिरिक्त, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आर.आर.टी.एस. संरक्षण सहित कार्यान्वयन के सभी मुद्दों को एन.सी.आर.टी.सी. द्वारा संबोधित किया जाएगा। एन.सी.आर.टी.सी., ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ, आर.आर.टी.एस. कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंभिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने हैं:-

संख्या	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा (%)	रकम (₹ करोड़ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.5%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.5%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.5%	12.50
7.	एनसीआर प्लानिंग बोर्ड	5%	5.00
	<b>कुल</b>	<b>100%</b>	<b>100.00</b>

वर्ष 2013-14 के दौरान एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड ने एन.सी.आर.टी.सी. के लिए अपना ₹5 करोड़ (5%) का योगदान दे दिया है तथा एन.सी.आर.टी.सी. द्वारा शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है।

9. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों की अनुसूची-10 में दर्शाए अनुसार 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को ऋणों/अग्रिमों के रूप में 17,12,80,07,946/- का बकाया एन.सी.आर.प्लानिंग बोर्ड की संबंधित उधारकर्ता एजेंसियों से बकाया की पुष्टि के अध्यक्षीन है।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ें, जहां आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं ।

ह./-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह./-

निदेशक (प्र. एवं वि.)

ह./-

सदस्य सचिव